

13.04.2022:- आज यह पत्रावली वादी अधिवक्ता के प्रार्थना-पत्र पर पेशी में ली गई। प्रार्थी कैलाश जरिये अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र कुमार सहारण द्वारा प्रार्थना-पत्र पेश किया। प्रार्थना-पत्र शामिल पत्रावली किया गया। वादी अधिवक्ता ने प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त वादपत्र का न्याय वाद प्रस्तुत करने की अनुमति के साथ प्रत्याहृत किये जाने की सूरत में वाद खारिज फरमाया जाय। वादी व उसके अधिवक्ता को उक्त प्रार्थना-पत्र पर सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया वाद अवलोकन वादी के अधिवक्ता ने फर्द अहकाम पर वादी के हस्ताक्षर करवाये। व वादी की पहचान अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र कुमार सहारण द्वारा की गई। प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया गया। अतः न्याय वाद पेश करने की अनुमति के साथ मौजूदा सूरत में खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरबीज तक मील दाखिल दफतर हो।

